राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः प.6(25)राज-6/ 2014/21 जयपुर, दिनांक 17/5/16

-:अधिसूचनाः-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं0 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, औषधालाओं, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिकृत सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त नियमों के नियम 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा नियम 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र का आवंटन, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2017 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव) ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर ।
9. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर ।
11. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक असाधारण अंक दिनांक 17-05-16 प्रकाशनार्थ ।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
13. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव